न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 77/2019

जगसीर सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

1 गुरजण्ट सिंह पुत्र काला सिह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
2 दर्शन सिंह पुत्र काला सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
3 मदन सिंह पुत्र हाकम सिह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
4 सरजीत सिंह पुत्र तोता सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
5 मेजर सिंह पुत्र तोता सिंह जाति जट सिख निवासी पतली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए.</u>

उपस्थित :–

1. श्री मेजर सिह अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. राजेन्द्र डाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की ओर से

<u>आदेश</u> दिनांक :– 20.02.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम चक 24 के एस डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 35/37 मु.न. 17 कि.न. 6, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम कुल 2.530 है. व इसी खाता के मु.न. 41 कि.न. 2, 3 सालम,7/1 में 0.051, 8, 9 12, 13, 14 सालम, 15/1 में 0.013है., 17, 18, 19 सालम कुल 2.594 है. आराजी दर्ज कागजात माल है।प्रार्थी द्वारा अपने नाम से दर्ज उकत वर्णित आराजी सिंचाई हेतू चक न. 24 के एस डी के मु.न. 17 कि.न. 24 में टयूबवेल लगा रखा है, तथा मु.न. 41 कि.न. 2, 3 सालम,7/1 में 0.051, 8, 9 12, 13, 14 सालम, 15/1 में 0.013है., 17, 18, 19 सालम कुल 2.594 है. आराजी की सिंचाई हेतू इसी चक के खाता संख्या 10/14 मु.न. 18 कि.न. 5 व खाता संख्या 63/66 मु.न. 19 कि.न .1, 9, 10, 12, 13 व खाता संख्या 84/86 मु.न. 19 कि.न. 16, 17 तथा खाता संख्या 75/69 मु.न. 19 कि.न. 25 में करीब 15 वर्ष पूर्व से चार फुट गहरी पाईप लाईन लगा रखी है तथा उक्त पाईप लाईन मौका पर चालू है, अप्रार्थीगण प्रार्थी को बार बार धमकियां देते है कि आपकी पाईप लाईन जो हमारी कृषि भूमि मे डाली हुयी है उसे उखाड़ देगें इसलिये प्रार्थी उक्त पाईप लाईन स्वीकृत करवाना चाहता है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा प्रार्थना पत्र बाबत पाईप लाईन स्वीकृति अ. धारा 251 ए आर.टी.ए. मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के नाम से दर्ज आराजी चक 24 के एस डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 35/37 मु.न. 17 कि.न. 6, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम कुल 2.530 है. व इसी खाता के मु.न. 41 कि.न. 2, 3 सालम,7/1 में 0.051, 8, 9 12, 13, 14 सालम, 15/1 में 0.013है., 17, 18, 19 सालम कुल 2.594 है. आराजी हैक्टेयर आराजी की सिंचाई हेतू इसी चक के खाता संख्या 10/14 मु.न. 18 के कि.न. 5 व खाता संख्या 63/66 के मु.न.19 कि.न. 1, 9, 10, 12, 13 व खाता संख्या 84/86 के मु.न. 19 कि.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

न. 16, 17 तथा खाता संख्या 75/69 मु.न. 19 कि.न. 25 में करीब 15 वर्ष पूर्व से चार फुट गहरी पाईप लाईन लगा रखी है जिसे स्वीकृत किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।, अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 ने जरिये वकील उपस्थित होकर जवाब प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी ने कोई पाईप लाईन नही दबा रखी है एव ना ही मौका पर कोई पाईप लाईन चल रही है इस कारण पाईप लाईन उखाड़ने का कोई प्रश्न ही पैदा नही होता है एव ना ही प्रथम दृष्टया मामला बनताहै व ना ही सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में है। प्रार्थी को कोई बिनाये प्रार्थना पत्र हासिल नही है चुकि प्रार्थी ने यह अंकित नही किया है कि प्रार्थी को किस दिनांक को बिनाय प्रार्थनापत्र हासिल हुआ है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिले खारिजी के है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसील सादुलशहर से मौका रिपोर्ट तलब की गयी। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थी ने स्वंय के हक हिस्सा की सिंचाई उत्तम तरीके से करने के लिये स्वंय के हक हिस्सा की आराजी में टयूबवेल लगा रखा है एव पाईप लाईन के जरिये अपने हक हिस्सा की आराजी को सिंचित कर रहा है एव इस सम्बध में मौका रिपोर्ट में भी पुष्टि की गयी है की पाईप लाईन मौका पर चल रही है अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया है जिससे यह स्पष्ट हो की पाईप लाईन से अप्रार्थीगण को कोई क्षति कारित होने सम्भावना हो। बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के नाम से दर्ज आराजी चक 24 के एस डी जमाबदी सम्वत 2071–2074 के खाता संख्या 35/37 मु.न. 17 कि.न. 6, 13 ता 18, 23 ता 25 सालम कुल 2.530 है. व इसी खाता के मु.न. 41 कि.न. 2, 3 सालम,7/1 में 0.051, 8, 9 12, 13, 14 सालम, 15/1 में 0.013है., 17, 18, 19 सालम कुल 2.594 है. आराजी हैक्टेयर आराजी की सिंचाई हेतू इसी चक के खाता संख्या 10/14 मु.न. 18 के कि.न. 5 व खाता संख्या 63/66 के मु.न.19 कि.न. 1, 9, 10, 12, 13 व खाता संख्या 84/86 के मु.न. 19 कि.न. 16, 17 तथा खाता संख्या 75/69 मु.न. 19 कि.न. 25 प्रत्येक किला में लगायी हुये चार फुट गहरी पाईप लाईन को स्वीकृत किया जाता है। इस प्रकार उकत 9 किलों में पाईप लाईन में प्रयुक्त होने वाली भूमि की गणना करके उसकी डी.एल.सी. रेट की 1/10 राशि प्रार्थीगण से जमा करवाई जावे, उक्त राशि जमा होने पर तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर पाईप लाईन का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे एवं जमाशुदा राशि सम्बधित काश्तकारान अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 को लौटाई जावें। तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20.02.2020

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) सादुलशहर

उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2020.03.16 17:17:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: